ट्रेड डील से रिश्तों को मिलेगी नई मजबूती

नई दिल्ली, 3 फरवरी. भारत और अमेरिका के बीच हुए बहुप्रतीक्षित ट्रेड डील को सरकार की आधिकारिक मंजूरी मिल गई. इस समझौते को दोनों देशों के रिश्तों में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है.

कई वरिष्ठ नेताओं ने इस डील का स्वागत करते हुए इसे रोजगार, विकास और तकनीकी सहयोग के लिए मील का पत्थर बताया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत के बाद भारत-अमेरिका ट्रेड डील को नई दिशा मिली है. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत के

बाद द्विपक्षीय व्यापार पर हुई घोषणाओं का स्वागत है. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों में रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और इनोवेशन को बढ़ावा देगा. उन्होंने इसे 'मेक इन इंडिया' और भरोसेमंद टेक्नोलॉजी साझेदारी को मजबूत करने वाला कदम बताया. यह डील किसानों,एमएसएमई, उद्यमियों और कुशल श्रमिकों के लिए अभूतपूर्व अवसर है.

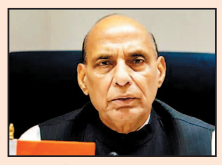

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत-अमेरिकी की डील को गहरे और बड़े आर्थिक सहयोग का एक नया अध्याय बताया. उन्होंने लिखा, भारत-अमेरिका संबंधों के लिए यह एक ऐतिहासिक पल है, क्योंकि एक ऐतिहासिक व्यापार समझौता फाइनल हो गया है. इससे टैरिफ काफी कम होकर 18 प्रतिशत हो गए हैं, जिससे गहरे और बड़े आर्थिक सहयोग का एक नया अध्याय शुरू हुआ है.

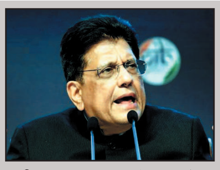

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लिखा- मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का उनके दूरदर्शी और निर्णायक नेतृत्व व भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए आभारी हूं. यह एक जैसी सोच वाले, निष्पक्ष व्यापार करने वाले दो लोकतंत्रों की साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की ताकत को दिखाता है.

रेलवे, सूचना और प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा-अमेरिका और भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं. दोनों देश स्वाभाविक सहयोगी हैं. साथ मिलकर भारत और अमेरिका के पास शांति और विकास के लिए काम करने की अपार क्षमता है. अमेरिका और भारत की ताकतें एक-दूसरे की पूरक हैं. दोनों देश मिलकर ऐसी टेक्नोलॉजी बना सकते हैं.

'मेड इन इंडिया' को राहत, बढ़ेगा कारोबार

▶ भारत-अमेरिका ट्रेड डील से उद्योग जगत में खुशी की लहर

नई दिल्ली, 03 फरवरी. भारत-अमेरिका के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापार समझौते ने देश के उद्योग जगत में नई उम्मीद जगा दी है. भारतीय उत्पादों पर अमेरिका में टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत किए जाने के फैसले को उद्योगपतियों ने दूरदर्शी कदम बताया है.

महिंद्रा, बिड़ला ग्रुप और एनएसई समेत कई दिग्गज कारोबारी नेताओं ने कहा कि यह समझौता न सिर्फ व्यापार, बल्कि रणनीतिक साझेदारी को भी नई मजबूती देगा. भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते पर देश के प्रमुख उद्योगपतियों ने खुलकर खुशी जताई है. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ आशीष कुमार चौहान ने इस डील को कारोबार, सप्लाई चेन और भारत-अमेरिका साझेदारी के लिए 'बड़ी जीत' बताया. वहीं महिंद्रा ग्रुप सीईओ डॉ. अनीश शाह ने कहा कि पारस्परिक शुल्क में कटौती और गैर-शुल्क बाधाओं को कम करने की प्रतिबद्धता से निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा. इससे पहले प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि अब 'मेड इन इंडिया' उत्पादों पर अमेरिका में केवल 18 प्रतिशत टैरिफ लगेगा. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की पुष्टि करते हुए इसे दोनों देशों के लिए फायदेमंद बताया है.भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते को लेकर अमेरिकी प्रशासन में सकारात्मक प्रतिक्रिया सामने आई है.

अमेरिका के कृषि मंत्री ब्रूक रोलिंस और ऊर्जा मंत्री डग बर्गम ने भारत के साथ हुए व्यापार समझौते का स्वागत करते हुए इसके व्यापक लाभों को रेखांकित किया है. कृषि मंत्री रोलिंस ने कहा कि यह समझौता भारत जैसे बड़े और तेजी से बढ़ते बाजार में अमेरिकी कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देगा. उन्होंने बताया कि 2024 में भारत के साथ अमेरिका का कृषि व्यापार घाटा लगभग 1.3 बिलियन डॉलर था और यह समझौता उस घाटे को कम करने में मददगार साबित होगा. रोलिंस ने इसे अमेरिका फर्स्ट की जीत करार दिया.

भारत ने प्रतिमा गायब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की

नई दिल्ली. भारत ने ऑस्ट्रेलिया में महात्मा गांधी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने तथा गायब करने की घटना की निंदा करते हुए इसके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में मीडिया के सवालों के जवाब में मंगलवार को कहा कि भारत ने इस मुद्दे को आस्ट्रेलियाई अधिकारियों के समक्ष सख्ती के साथ उठाया है। हम मेलबर्न के रोवविल स्थित ऑस्ट्रेलियन इंडियन कम्युनिटी सेंटर में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा क्षतिग्रस्त किए जाने और हटाए जाने की कड़ी निंदा करते हैं.

हेट स्पीच मामले में सुको में हुई सुनवाई

नई दिल्ली, 03 फरवरी. उच्चतम न्यायालय ने नोएडा हेट स्पीच मामले में पुलिस की निष्क्रियता का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई की.

इस याचिका को एक मुस्लिम धर्मगुरु ने दायर किया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि हेट स्पीच मामले में स्थानीय पुलिस में बार-बार शिकायत करने के बावजूद उसने मामला दर्ज करने से इनकार किया. न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने घटना की निष्पक्ष एवं तटस्थ जांच की मांग करने वाली याचिका एवं शिकायत पर कार्रवाई करने में कथित रूप से विफल रहे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर भी विचार किया. शीर्ष अदालत ने हाल ही में हेट स्पीच से

संबंधित याचिकाओं में अपना आदेश सुरक्षित रखा है लेकिन उसने इस मामले को लंबित रखने का निर्णय लिया क्योंकि इसमें अलग मुद्दे उठाए हैं. मामले में केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कहा यह मामला पहले से चल रहा है इसलिए इसकी बहुत हद तक प्रासंगिकता नहीं है और याचिका में अब कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं बचा है.

न्यायमूर्ति मेहता ने उल्लेख किया कि कुछ अपराधों के लिए अभियोजन को बिना अधिकारिक अनुमोदन के नहीं बढ़ाया जा सकता है। अहमदी ने विरोध दर्ज करते हुए कहा कि इस चरण में किसी अनुमोदन का सवाल नहीं है और तर्क दिया कि हेट स्पीच के लिए एफआईआर दर्ज करने में बार-बार विफल रहना एक प्रणालीगत समस्या की ओर इशारा करता है जिसका राष्ट्रीय अखंडता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। पीठ ने मामले का सामान्यीकरण करने के खिलाफ चेतावनी दी क्योंकि अदालत विशेष घटना पर सुनवाई कर रही थी.

कश्मीर की जमी डल झील, माइनस में पहुंचा तापमान

जम्मू. जम्मू-कश्मीर की मशहूर डल झील के कुछ हिस्से और कश्मीर में कई पानी की जगहें जम गईं, जिससे पूरी घाटी में तापमान और गिर गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान माइनस 5 .2 डिग्री दर्ज किया गया है.

यूपी में पुलिस परीक्षा 8-10 जून को

लखनऊ. यूपी पुलिस भर्ती 2025 के अंतर्गत सिपाही नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए अहम अपडेट सामने आया है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने लिखित परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है। यह परीक्षा जून 2026 में तीन दिनों तक आयोजित की जाएगी और इसमें करीब 28.85 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा दो पालियों में होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन आगामी 8, 9 और 10 जून 2026 को किया जाएगा। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने मंगलवार को परीक्षा कार्यक्रम जारी किया है.

संसद में सरकार मुझे बोलने नहीं देती

▶ राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखा पत्र

नई दिल्ली, 03 फरवरी. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को मंगलवार को पत्र लिखकर कहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेने के दौरान उन्हें बोलने से रोका जाना चिंता का विषय है और यह लोकतंत्र की परंपरा के लिये गहरा आघात है.

राहुल गांधी ने अपने पत्र में कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सोमवार को जिस तथ्य को प्रमाणित करने के बहाने उन्हें बोलने से रोका गया है उसकी प्रमाणिकता के संदर्भ में उन्होंने सदन के पटल पर दस्तावेज पेश कर दिया है. उन्होंने लिखा आपने जिस दस्तावेज को प्रमाणित करने का निर्देश दिया था आज मैंने अपनी बातचीत को पुन: शुरू करते हुए उस को प्रमाणित कर दिया.

सदन की लंबी परंपरा में पूर्ववर्ती अध्यक्षों के ऐसे मामलों में समय समय पर दिए गये निर्णय भी शामिल हैं. सदन में किसी दस्तावेज़ का उल्लेख करने वाला सदस्य प्रस्तुत तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए बाध्य होता है और इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद अध्यक्ष उस सदस्य को दस्तावेज़ का उद्धरण देने या उसका उल्लेख करने की अनुमति देते हैं. इसके बाद उस दस्तावेज़ पर प्रतिक्रिया देने का काम सरकार का हो जाता है और अध्यक्ष की भूमिका समाप्त हो जाती है.

श्री गांधी ने आगे लिखा आज मुझे लोकसभा में बोलने से रोका जाना न केवल इस परंपरा का उल्लंघन है, बल्कि यह एक गंभीर चिंता भी पैदा करता है कि विपक्ष के नेता के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों पर मुझे जानबूझकर बोलने से रोका जा रहा है. यह दोहराना उचित होगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रपति के अभिभाषण का एक प्रमुख हिस्सा थी, जिस पर संसद में चर्चा आवश्यक है. उन्होंने लिखा आपकी संवैधानिक और संसदीय जिम्मेदारी है कि आप प्रत्येक सदस्य के अधिकारों की, विशेषकर विपक्षी सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करें. विपक्ष के नेता और प्रत्येक सदस्य को बोलने का अधिकार हमारे लोकतंत्र का आधार है और इन अधिकारों का पालन करने से रोकने के कारण अभूतपूर्व स्थिति उत्पन्न हो गई है. संसदीय इतिहास में पहली बार, सरकार के इशारे पर अध्यक्ष को मजबूर किया गया है कि वे विपक्ष के नेता को

वांगचुक लोगों को भड़काने के आरोप में हिरासत में है : केंद्र

नई दिल्ली. 03 जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उनकी हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.

केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि वांगचुक को पाकिस्तान और चीन से सटे एक सीमावर्ती एवं संवेदनशील क्षेत्र में लोगों को भड़काने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में सभी प्रक्रियागत सुरक्षा उपायों का पूरी तरह पालन किया गया है।

दिल्लीवासियों को होली-दिवाली पर मुफ्त मिलेगा सिलेंडर

नई दिल्ली, 03 फरवरी. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली के सभी राशनकार्ड धारकों को होली और दिवाली पर निशुल्क गैस सिलेंडर दिया जाएगा.

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने उस योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2026 से दिल्ली के सभी राशन कार्ड धारक परिवारों को प्रतिवर्ष दो एलपीजी सिलेंडर के बराबर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता होली और दिवाली जैसे प्रमुख त्योहारों के अवसर पर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यह योजना दिल्ली सरकार की लक्षित, पारदर्शी और जवाबदेह कल्याण नीति का हिस्सा है।

भारत-भूटान ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की

नई दिल्ली, 03 फरवरी. भारत और भूटान ने मंगलवार को यहां ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए चर्चा की.भूटान के ऊर्जा एवं प्राकृतिक संसाधन मंत्री लियोनपो जेम शेरिंग ने केंद्रीय विद्युत तथा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल और विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक से मुलाकात की.

जो क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं. संकोश (या सुनकोश) जलविद्युत परियोजना भूटान में एक प्रमुख प्रस्तावित जलाशय-आधारित जलविद्युत पहल है, जिसकी क्षमता 4,060 मेगावाट होने का अनुमान है. भारत के साथ संयुक्त रूप से विकसित,भूटान की नवीकरणीय ऊर्जा रणनीति का एक प्रमुख घटक है, जिसका उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा और निर्यात क्षमता को बढ़ाना है. इसके अतिरिक्त, दोनों देशों ने 2040 तक की ट्रांसमिशन अवसंरचना योजना पर चर्चा की, जिसके लिए वर्तमान में विस्तृत परामर्श जारी हैं. एक फरवरी को पेश किए गए आम बजट 2026-27 में भूटान को 2,288 करोड़ आवंटित किये गये हैं.

तीनों नेताओं ने पुनात्सांगछू-2 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (1020 मेगावाट) से बिजली उत्पादन के वाणिज्यिक अनुकूलन पर चर्चा की. बैठक में पुनात्सांगछू-1 हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना (1200 मेगावाट) को जल्द चालू करने पर जोर दिया गया. चर्चा में संकोश जलविद्युत परियोजना के भविष्य की राह पर भी बातचीत हुई. भारत और भूटान के नेतृत्व ने पुनात्सांगछू-2 हाइड्रोइलेक्ट्रिक का उद्घाटन अगस्त 2025 में साथ-साथ किया था. भारतीय सहयोग से विकसित इस परियोजना से भूटान की विद्युत उत्पादन क्षमता में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि होगी. पुनात्संगछु नदी पर स्थित इस परियोजना में 170 मेगावाट की छह इकाइयां शामिल हैं,

NAME CHANGE

I Fatema announced that earlier my name was recorded as Fatema Bai in my old document. I have changed my name to Fatema Lokhandwala. Enter my new name on all my documents. In future I will be called Fatema. Fatema Lokhandwala w/o Yusuf Lokhandwala,
House no. 0 Musalmani Gali opp to Bohra Masjid, Manasa District-Neemuch(MP)

अपने व्यापार को दें नई ऊंचाइयां नवभारत के माध्यम से

नवलसिंह सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित
नवलनगर (झीरी) जिला- बुरहानपुर म.प्र.
E-mail : nsskmp@gmail.com, Mobile No 93034-56569

समस्त गन्ना उत्पादकों को 'द्वितीय एवं अंतिम सूचना'
(म.प्र. शुगर केन सप्लाय / पर्चेस आर्डर 1959 की धारा 14 (अ) के अधीन)

कारखाना रक्षित क्षेत्र में वर्तमान पिराई सत्र 2025 2026 में पिराई हेतु गन्ने का शेष क्षेत्र लगभग 200 हेक्टेयर रहने के कारण गन्ने की आवक कम हो गई है। अतः समस्त पंजीकृत गन्ना उत्पादक कृषकों से निवेदन है कि अपना शेष गन्ना स्वयं कटाई / परिवहन कराकर दिनांक 10/02/2026 की सायं 5.00 बजे तक गेटकेन प्रक्रिया के तहत कारखाना गेट पर पहुंचाने की व्यवस्था करें। समयावधि के पश्चात किसी कृषक का गन्ना यदि शेष रहता है तो गन्ने की पिराई के लिए कारखाना उत्तरदायी नहीं रहेगा।

कृपया सूचित हो।

प्रबंध संचालक

बॉम्बे उच्च न्यायालय में वसीयती एवं बिना वसीयत के उत्तराधिकार संबंधी क्षेत्राधिकार
याचिका संख्या 1965/2023

विद्या मनसुखलाल व्यास उर्फ विद्यागौरी मनसुखलाल व्यास उर्फ विद्या एम. व्यास, हिंदू, भारतीय निवासी, वसई निवासी, विधवा, व्यवसायः सेवानिवृत्त, जो अपनी मृत्यु के समय 402, कृष्णा कुंज सहकारी आवास सोसायटी लिमिटेड, वीर सावरकर नगर, वसई रोड, नवघर, वसई (पश्चिम), जिला पालघर-401202 में निवास कर रही थीं, की अंतिम वसीयत के प्रोबेट के लिए याचिका।
.......मृतक

नीता अमित त्रिवेदी, जिनका जन्म नीता मनसुखलाल व्यास के नाम से हुआ था, आयु 57 वर्ष, व्यवसायः गृहिणी, हिंदू, भारतीय, मुंबई निवासी, निवास स्थान सी/401, रत्नाकर सी.एच.एस.एल., महावीर नगर, दहनुकर वाडी, प्राणिक गार्डन के सामने, कांदिवली (पश्चिम), मुंबई-400067, उपरोक्त नाम के मृतक की अंतिम वसीयत के तहत नियुक्त निष्पादकों में से एक थीं।
.....याचिकाकर्ता

प्रति
1. श्रीमती मालविका विजय व्यास
यूजी-3, पलासिया टावर, 1/2, न्यू पलासिया, इंदौर, मध्य प्रदेश-452001
2. सुश्री खयाती व्यास
यूजी-3, पलासिया टावर, 1/2, न्यू पलासिया, इंदौर, मध्य प्रदेश-452001

यदि आप मृतक की संपत्ति में किसी भी प्रकार का हित रखते हैं, तो आपको प्रोबेट प्रदान करने से पहले कार्यवाही देखने के लिए बुलाया जाता है।
यदि आप प्रोबेट प्रदान करने का विरोध करना चाहते हैं, तो आपको इस नोटिस की तामील होने के 14 दिनों के भीतर प्रोथोनोटरी और सीनियर मास्टर के कार्यालय में आपत्ति दर्ज करानी होगी।
आपको सूचित किया जाता है कि पात्रता मानदंडों के अनुसार राज्य विधि सेवा प्राधिकरणों, उच्च न्यायालय विधि सेवा समितियों, जिला विधि सेवा प्राधिकरणों और तालुका विधि सेवा समितियों द्वारा निःशुल्क कानूनी सेवाएं उपलब्ध हैं। यदि आप पात्र हैं और निःशुल्क कानूनी सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप उपरोक्त किसी भी विधि सेवा प्राधिकरण/समिति से संपर्क कर सकते हैं।
श्री चंद्रशेखर, मुख्य न्यायाधीश, बॉम्बे में,
दिनांक 11 दिसंबर, 2025।

प्रोथोनोटरी और सीनियर मास्टर के लिए।
हस्ताक्षर/-
मुहर लगाने वाला
मुहर
दिनांक 15 दिसंबर, 2025
गोबिंदा सी. मोहंती
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्सः +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निदेर्शों के अनुसार एनपीए के रूप में वगीर्कृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	129613607	संपत्ति के बदले ऋण	17.01.2026	5,09,147.39/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं के नामः 1. रोहित चौहान 2. रंजना चौहान 3. सज्जन सिंह

संपत्ति का पताः मकान संख्या 424/2 का वह पूरा भूखंड, जिसका कुल क्षेत्रफल 360 वर्ग फुट (यानी 33.44 वर्ग मीटर) है और निर्मित क्षेत्र भी 360 वर्ग फुट (यानी 33.44 वर्ग मीटर) है, माली मिहल्ला, बीजलपुर, वार्ड संख्या 78, जोन संख्या 13, तहसील और जिला इंदौर, मध्य प्रदेश-452001 में स्थित है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैंः पूर्व में रामप्रसाद बलाई का मकान, पश्चिम में सड़क, उत्तर में भरत चौहान का मकान, दक्षिण में बद्री काका का मकान।

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है). इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
दिनांकः 04.02.2026
स्थानः इन्दौर
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

BAJAJ FINANCE

सोने के गहनों की नीलामी के लिए समाचार पत्र में सार्वजनिक सूचना
बजाज फाईनान्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः मुंबई - पुणे रोड, अकुर्दी, पुणे - 411035

BFL सभी ऋणियों और सर्वसाधारण को सूचित करता है कि गोल्ड लोन लेते समय ऋणी ने बतौर सेक्युरिटी अपने लोन खाते में सोने के गहने गिरवी रखे और बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद जो ऋणी लोन की राशि चुकाने या आवश्यक मार्जिन देने में विफल रहे उनके गहने 'जहां है जैसा है और जो है जैसा है' आधार पर नीलाम किए जाएंगे। निविदा करने वालों से अनुरोध है कि नीचे दी गई शर्तों का पालन करें:

(क) क्यूआर कोड स्कैन कर सार्वजनिक सूचना (लोन, गहनों का सकल वजन, स्थान और नीलामी की तिथि) की सम्पूर्ण जानकारी देखें।
(ख) सार्वजनिक नीलामी से संबंधित निविदा के सभी नियम और शर्तें ("टी एण्ड सी") वेबलिंक http://172.30.1.235:3000/?WOUB2QG9WU के माध्यम से पढ़ें;
(ग) नियम और शर्तें समझ लें और उसके बाद ही नीलामी की तिथि या उससे पहले बतौर अग्रिम जमा राशि रु.25,000 फंड ट्रांसफर (एनईएफटी/आरटीजीएस/बजाज गोल्ड ऑक्शन ऐप) कर दें;
(घ) नीलामी के स्थान पर सुबह 10 बजे तक व्यक्तिगत उपस्थिति दर्ज करें; तथा
(ङ) नीलामी के स्थान पर अपना पहचान और पते का वैध प्रमाण लेकर आएं।
(च) नीलामी की दिन में दोपहर 12 बजे के बाद नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
(छ) शाखा प्रबंधक/नीलामीकर्ता को बोली लगाने वालों की भागीदारी स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है, यदि वे निर्धारित समय सीमा में भाग नहीं लेते हैं, चाहे वे अग्रिम राशि जमा राशि (ईएमडी) का भुगतान कर चुके हो।

स्कैन करें

नीलामी के स्थान और तिथि में परिवर्तन, यदि कोई हो, तो उसकी सूचना नीलामी केंद्र पर प्रदर्शित की जाएगी। आपका निविदा करना उपरोक्त शर्तों पर सहमत होना माना जाएगा। यदि सार्वजनिक नीलामी से बिक्री निलंबित/निरस्त होती है तो बीएफएल ऋणी(ऋणियों) के कहने पर निजी तौर पर गहनों की बिक्री करने का अधिकार भी सुरक्षित रखती है। अतिरिक्त जानकारी के लिए हमसे इस ईमेल आईडी पर संपर्क करे - gold.auction@bajajfinserv.in

(11-03-26) **बैतूल - शर्मा कॉम्प्लेक्स**; PCA4GOL15808770, 16145814. **भोपाल - इमामी गेट**; PF46GOL15573721, 15875688. **भोपाल - इंद्रपुरी**; PF49GOL15584437, 15897350. **भोपाल - करोंद**; PJD2GOL16127439. (12-03-26): **ब्यावरा - पुराना एबी रोड**; PMN3GOL16150584. **बीना - इटावा स्टेशन रोड**; PCA6GOL15800738, 16025696. **छिंदवाड़ा - परासिया रोड**; PEQ1GOL16035875, 16076875. **डाबरा - मेन रोड**; PKH4GOL14579120, 15605003. (13-03-26) **देवास - एबी रोड**; PGG2GOL15735644, 16006377, 16070938. **गंज बासौदा - मेन रोड**; P02WGOL16119395. **गुना - एबी रोड**; PEH2GOL15866256, 16056220. **ग्वालियर - सिटी सेंटर**; PCA7GOL15667137, 15782758, 15797195, 15827593, 15985595, 16136917, 16141688. (16-03-26) **ग्वालियर - गोले का मंदिर**; PJD1GOL15642146, 15893717, 16030003, 16126221. **ग्वालियर - मुरार**; PHF9GOL16054246. **ग्वालियर - नया बाज़ार**; PF25GOL15691506, 15718339, 15775882, 15785664, 15886550. **ग्वालियर - विनय नगर**; PEF2GOL15598844, 15687142, 15717430, 15844958, 15864859, 15989080, 16025492, 16056404. **हरदा - बाफना टॉवर**; PCA8GOL16109028, 16119577. (17-03-26) **होशंगाबाद - मीनाक्षी चौक**; PCA9GOL14377792, 15763196, 15781880, 15847333, 15894393. **इंदौर - विजय नगर**; PGJ9GOL15963352, 16150260. **इटारसी - सराफा बाज़ार** P03WGOL15623451, 15692557, 15876989, 15933627, 15962645, 16010639, 16151740. **जबलपुर - दीनदयाल चौक**; PEH4GOL15854729, 16142036. (18-03-26) **जबलपुर - राइट टाउन**; PGO3GOL14532267, 14606686, 14831435, 14896862, 15621766, 15891553, 15891068, 16006311, 16052989, 16057497. **खंडवा - शिवाजी चौक**; PCP1GOL15813074, 15854362, 16104582. **खरगोन - जवाहर मार्ग**; PJC9GOL15888509, 16147754. **महू - हरि फाटक**; PMN4GOL15993743. (19-03-26) **मुरैना - शिवनगर**; PJC8GOL15601620, 15669224, 15658273, 15692773, 15824098, 16075480, 16121082, 16144977. **नरसिंहपुर** - BGL; P6Y8GOL15602314, 15660502, 16140797. **रीवा** - BGL; P4A7GOL15616665, 15642848, 15700193, 15740707, 15757268, 15834765, 15994366, 16117851. **सागर - परकोटा**; PLL1GOL15577668. (20-03-26): **सीहोर - सेकड़ाखेड़ी रोड**; PCP3GOL16036278. **शहडोल** - BGL; P6E0GOL15578496, 15696315, 16017791, 16141611. **श्योपुर - शिवपुरी रोड**; PLC3GOL15600350, 15781911, 15837325, 15965524, 16141458. **शिवपुरी - एबी रोड**; PEH3GOL15718855.

बजाज फाईनान्स लिमिटेड